



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: अकादमी/अध्यादेश-5/कृपांक/2009/2365 भोपाल, दिनांक : 21/8/09  
अधिसूचना

विगत समय में देखने में आया है कि, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों को कृपांक प्रदान किये जाने वाले प्रकरणों में भिन्न-भिन्न मानदंड अपनाए जा रहे हैं एवं कुछ परीक्षार्थियों द्वारा मान. न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अधिसूचनाएं/आदेश प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप समान श्रेणी प्रकरणों में निर्णयों में भिन्नता आ रही है ।

अतः सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में समन्वय समिति की बैठक 76वीं बैठक दिनांक 26.6.06 में अनुमोदित अध्यादेश क्रमांक 5 परीक्षाओं का संचालन (धारा 37 के परन्तुक VI के संदर्भ में) के अनुच्छेद 32 एवं 33 में वर्णित प्रावधानों का पालन किया जावे जो निम्नानुसार हैं :

32. **Notwithstanding anything contained in the concerned ordinance an examinee, who fails by a total of not more than three marks in not more than two subjects in any of the B.A./B.Sc.(Home Science)/B.Com./B.Ed./B.P.Ed./LL.B./B.Lib/B.P.T./B.M.L.T. and other graduate examination except where it is held on a semester basis but secures more than the minimum aggregate marks required shall be given three grace marks to enable him to pass the examination.**

**Provided also that in case of MBBS, BHMS, BAMS, BUMS, BE, B.Farm., B.Tech., B.Arch., B.D.S. and B.V.Sc. number of grace marks in one subject to pass the examination will be 5 if the candidate secures minimum passing aggregate marks in total. The grace marks are only notional and are not added in the aggregate as to change the percentage.**

**Passing in aggregate is compulsory before benefit of marks is given.**

33. **The Kulpati may award one grace mark in case the candidate is failing by one mark or missing a division by one mark where the deficiency is so condoned, one mark shall not where be added.**

**Provided that the benefit under this paragraph shall not be allowed to enable a candidate to get the benefit under paragraph 32.**

## EXPLANATION :

- (1) An examinee will be entitled for three grace marks under section 32.
- (2) However, the examinee will also be entitled for one grace marks in semester examination and also in supplementary examination held on annual basis.
- (3) The grace marks thus awarded under section 32 of the Ordinance shall be inclusive of Vice-chancellor's grace of one marks.

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त सूचनाएं/आदेश निरस्त किए जाते हैं । विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग संदर्भित पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की परीक्षा योजनाओं में उक्तानुसार कृपांक विधार्थण प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे एवं तदनुसार आवश्यक संशोधन परीक्षा

रेणाम तैयार करने हेतु अनुबंधित संस्था/संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे ताकि धार्थियों को उक्त प्रावधानानुसार निर्धारित कृपांकों का लाभ स्वतः प्राप्त हो सके ।

आदेशानुसार,



कुलसचिव,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक: अकादमी/अध्यादेश-5/कृपांक/2009 2366 भोपाल, दिनांक : 21/8/09

तेलिपि:-

प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों की ओर छात्रों के वृहद सूचनार्थ आग्रह के साथ ।

विभागाध्यक्ष/संयोजक, विश्वविद्यालय के समस्त विभाग/संस्थान, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।

कक्ष अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त कक्ष, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।

उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा, गोपनीय एवं विश्वविद्यालय के समस्त विभाग ।

वित्त अधिकारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।

प्रभारी, जनसंपर्क, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।

प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर विश्वविद्यालय वेब पर अपलोड के आशय के साथ ।

संपादक, समस्त स्थानीय दैनिक, की ओर सादर प्रकाशनार्थ ।

कुलपतिजी के निज सहायक ।

0. कुलसचिव के निज सचिव ।

1. नस्ती प्रति ।



सहायक कुलसचिव (अकादमी),  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल